न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 01/2025

जीसीएमएस नम्बर : 2025/1

प्रार्थीः—	बनाम	अप्रार्थीगणः—
पदमचन्द सोनी पुत्र मोहनलाल सोनी निवासी बगड़ी नगर तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान		1. ग्राम पंचायत बगड़ी नगर जरिये सरपंच 2. किशनलाल पुत्र मोहनलाल सोनी निवासी ग्राम बगड़ीनगर तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मानवेन्द्र भाटी।

—: निर्णय :—

दिनांक : 23/04/2026

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत बगड़ी नगर द्वारा मिसल संख्या 92/2004 दिनांक 05.06.2004 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 1564 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 वक्त बहस अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम बगड़ी नगर तहसील सोजत में चकला के बास में प्रार्थी का कब्जासुदा स्वामित्व का पट्टासुदा मकान स्थित है। उक्त मकान का ग्राम पंचायत द्वारा मिसल संख्या 177/1997—78, दिनांक 03.09.1997 के द्वारा प्रार्थी के पक्ष में पट्टा संख्या 520 दिनांक 28.02.1998 को जारी किया गया, जिसके पड़ौस उत्तर दिशा में लालचन्द चौपड़ा का मकान, दक्षिण दिशा में अशकर रंगरेज का मकान, पूर्व दिशा में भंवरलाल देवड़ा का मकान, पश्चिम दिशा में गुजर की गली रास्ता व दरवाजा है। ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा सुदा मकान का पुनः जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी कर दिया। अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थी को मौके से बेदखल करने एवं उक्त मकान हड़प करने की नियत से ग्राम पंचायत के समक्ष गलत तथ्य पेश कर प्रश्नगत पट्टा जारी करवा दिया। उक्त पट्टे की आड़ में अप्रार्थी संख्या 2 जैर निगरानी मकान को आगे बेचाण करने पर आमदा है। प्रश्नगत पट्टे के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 2 ने ग्राम पंचायत ने समक्ष न तो कोई आवेदन पेश किया, न ही मौका निरीक्षण किया गया, न ही विधिनुसार आपत्तियां आमंत्रित की गई। ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों में वर्णित

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

प्रावधानों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से पूर्व से जारी पट्टे सुदा भूमि पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिसे निरस्त फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी याचिका ग्राम पंचायत बगड़ी नगर द्वारा मिसल संख्या 92/2004 दिनांक 05.06.2004 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 1564 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि ग्राम पंचायत ने पूर्व में प्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टे सुदा आराजी पर जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। इस तथ्य की पुष्टि हेतु उपलब्ध अभिलेखों, प्रस्तुत दस्तावेजों तथा प्रस्तुत तर्कों का परीक्षण एवं तुलनात्मक अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत बगड़ी नगर द्वारा मिसल संख्या 177/97–98, प्रस्ताव संख्या 12 दिनांक 28.02.1998 एवं उसकी पालना में पदमचन्द पुत्र मोहनलाल सोनी के पक्ष में पट्टा संख्या 520 दिनांक 28.02.1998 को जारी किया गया था। उक्त पट्टे में वर्णित भूमि की सीमाएँ पूर्व दिशा में भंवरलाल देवड़ा का मकान, पश्चिम दिशा में रास्ता, उत्तर दिशा में लालचन्द जी चौपड़ा का मकान तथा दक्षिण दिशा में अशकर रंगरेज का मकान है तथा भुजाओं का माप पूर्व दिशा में 28.5 फुट, पश्चिम दिशा में 27.6 फुट, उत्तर दिशा में 23.4 फुट तथा दक्षिण दिशा में 25 फुट है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टे में वर्णित पड़ौस एवं भूमि की सीमाएँ, पूर्व दिशा में भंवरलाल देवड़ा का मकान 28.5 फुट, पश्चिम दिशा में रास्ता 27.6 फुट, उत्तर दिशा में लालचन्द जी चौपड़ा का मकान 23.4 फुट तथा दक्षिण दिशा में अशकर रंगरेज का मकान 25 फुट है। दोनों पट्टों के पड़ौस एवं सीमाओं का तुलनात्मक परीक्षण करने पर यह स्पष्ट है कि दोनों पट्टों के पड़ौस एवं सीमाओं का माप एकसमान है। जिससे प्रथमदृष्टया यह प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत ने पूर्व में जारी पट्टे सुदा भूमि पर प्रश्नगत जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत से प्राप्त बैठक कार्यवाही रजिस्टर में बैठक दिनांक 05.06.2004 प्रस्ताव संख्या 3 में यह स्पष्ट अंकित किया है कि निम्न मिसलों के पूर्व में भूमि विक्रय विलेख जारी किये गये है। ऐसी स्थिति में पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते हुये यदि किसी भूमि का बाद में कोई दूसरा पट्टा जारी किया जाता है जो पहले पट्टाधारी के अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो यह विधि सम्मत नहीं होगा और रद्द किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त राजस्थान राज्य बनाम लक्ष्मणसिंह (2018) में यह स्पष्ट किया कि एक भूमि पर दो पट्टे जारी करना अधिकारों का दुरूपयोग है। इसी तरह न्यायिक दृष्टान्त सीताराम बनाम राजस्थान सरकार (2019) में माननीय न्यायालय ने अंकित किया कि भूमि पट्टों में द्वैत अधिकार नहीं बन सकते, यदि ऐसा होता है तो बाद में जारी पट्टे को अवैध माना जाएगा तथा मधु सुकन्या बनाम ग्राम पंचायत (2019) में माननीय न्यायालय ने यह कहा कि पट्टों की स्थिति में प्राथमिक पट्टा वैध माना जाएगा और दूसरा पट्टा रद्द किया जाएगा अर्थात भूमि के पट्टों का दोहरीकरण न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह सार्वजनिक हितों के खिलाफ भी है। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 1998 DNJ 560 अनुसार – पंचायत ने प्रार्थी को 1963 में आबादी क्षेत्र में एक भूखण्ड आंवटित किया – पंचायत ने अप्रार्थी सं. 5 को भूखण्ड विक्रय किया और विक्रय की पुष्टि की –

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

विधि अनुसार प्रार्थी का पट्टा निरस्त नहीं किया – पंचायत ने पट्टा निरस्त करने की अधिकारिता न होने से आधार पर आवंटन बहाल रखा – जब तक निरस्त न किया जाये आवंटन प्रभाव में रहता है – अप्रार्थी संख्या 5 के पश्चातवर्ती विक्रय बिना अधिकारिता के है, याचिका निरस्तारित की, जो अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का समर्थन करते है। इसी प्रकार AIR 1998 Raj Page 282 श्रीमती सरोज बनाम ग्राम पंचायत व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते उसी भूमि पर दुसरा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता हैं।"

हस्तगत प्रकरण में अभिलेखों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि प्रश्नगत पट्टा पूर्णतः अनियमित एवं पंचायती राज नियमों के विपरीत जारी किया गया है। अभिलेखानुसार मिसल संख्या 92 दिनांक 05.06.2004 को दर्ज की गई तथा उसी दिनांक को प्रस्ताव सख्या 03 के माध्यम से पट्टा जारी कर दिया गया, जिससे यह सिद्ध होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया, जैसे आवेदन प्राप्ति, प्रश्नगत भूमि का नक्शा, स्थल निरीक्षण, आपत्ति इश्तिहार जारी करना, स्वतंत्र गवाहों के बयान लेना आदि का पालन नहीं किया गया। सामान्यतः इस प्रकार की कार्यवाही में समयान्तराल एवं विधिवत परीक्षण अपेक्षित होता है किन्तु एक ही दिन में समस्त कार्यवाही पूर्ण किया जाना प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं वैद्यता पर गम्भीर प्रश्नचिह्न लगाता है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत से प्राप्त बैठक कार्यवाही रजिस्टर दिनांक 05.06.2004 के प्रस्ताव संख्या 3 में यह उल्लेख किया गया है कि सम्बन्धित भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में विक्रय विलेख जारी किया गया है तथा आपसी बंटवारा (म्युचुअल अंडरस्टैंडिंग) के आधार पर विक्रय विलेख जारी किया गया है तथापि पत्रावली पर ऐसा कोई भी दस्तावेज, साक्ष्य अथवा प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि सम्बन्धित भूमि का विधिवत आपसी बंटवारा हुआ था। इस प्रकार, प्रस्ताव में किया गया उल्लेख तथ्यात्मक रूप से अप्रामणित एवं आधारहीन प्रतीत होता है। अतः सम्पूर्ण निष्कर्ष से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा केवल एक प्रस्ताव के आधार पर बिना किसी विधिक एवं प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का पालन किये प्रश्नगत पट्टा जारी किया है, जो पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है। इस स्थिति में यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना मिसल कायम किये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो Ab Initio Void है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 1995 DNJ 458 Dhanraj and Anr. vs Additional Collector, Ganganagar & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायत और न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961–नियम 255 से 265–आबादी भूमि के विक्रय हेतु विस्तार से प्रक्रिया प्रकट की है–प्रस्तुत मामले में यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई–भूमि क्रय करने हेतु आमंत्रण नहीं मांगे गए, कोई सूचना प्रकाशित नहीं हुई–कोई आपत्तियां भी नहीं मांगी गई और न सार्वजनिक निलाम ही हुआ–अभिनिर्धारित, यह तो स्पष्ट रूप से नियमों का ही अतिक्रमण न होकर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का भी अतिक्रमण है–विक्रय को अभिखण्डित किया गया। इसी प्रकार 1996 DNJ (Raj.) 413 Mahaveer Prasad vs State of Rajasthan & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायत (साधारण) नियम, 1961–नियम 256 व 260–पंचायत द्वारा भूमि का विक्रय–प्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी–अपर कलेक्टर ने पट्टा और विक्रय की सारी कार्यवाही को रद्द कर दी–पंचायत का प्रस्ताव रजिस्टर

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

में नहीं लिखा है–भूमि के विक्रय हेतु कोई लोक सूचना जारी नहीं हुई–अभिनिर्धारित, रिट याचिका गुणागुणहीन होने से खारिज की जाती है।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत पट्टे की मिसल कायम नहीं की गयी जिससे यह साबित है कि उक्त पट्टा जारी करने के दौरान राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पालना नहीं की गयी। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) RLW(RJ) 1091 Dhrampal Singh vs Additional District Collector के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Rules, 1996, Rule 157 read with Rule 146 - Allotment bade by Village Panchayat-Not following the requirements of Rule 157-Additional Collector cancelled the allotment-Held-The village Panchayat had failed to follow the procedure prescribed for allotment or take into consideration the preconditions for invoking Rule 157 of the 1996 Rules. Petition dismissed. इसी प्रकार 2009 0 WLC 759 Babu singh vs State of Rajasthan & Others. के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Act, 1994-S.97-The patta issuing order of the collector has been quashed as the order has been made in violation of the rules-The collector has exercised his power superficially in this mater which is not acceptable-Resolution for issuing the Patta has been set aside. इसी प्रकार RRT 2003(1) page 174 के अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 नियम 142 से 157–पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 63 व 97–आपसी बातचीत से आबादी भूमि विक्रय की–जब तक नियम 156 में दी गई शर्तों की पालना न हो तब तक भूमि विक्रय नहीं की जा सकती और न पट्टा जारी किया जा सकता–प्रार्थी पिछले 15 वर्षों से भूमि के अधिपत्य में हैं इस आधार पर भी भूमि आपसी बातचीत से विक्रय नहीं की जा सकती–नियम 142 से 157 के प्रावधानों की पालना नहीं–अपर कलेक्टर ने विक्रय को अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर हूबहू चस्पा होता है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बगड़ी नगर द्वारा मिसल संख्या 92/2004 दिनांक 05.06.2004, प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 05.06.2004 एवं उसकी पालना में किशनलाल पुत्र मोहनलाल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 1564 दिनांक 05.06.2004 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 23/04/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)